

विधि विभाग / Department of Law
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर -470003
Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar 470003

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)



(A Central University)

Contact : 07582-297153

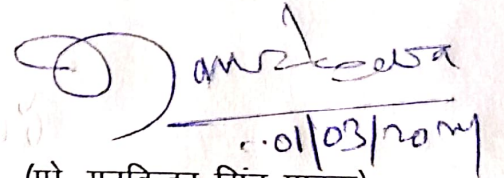
Ref No/ Law/2023-24/307

Date: - 01/03/2024

// सूचना //

प्रायः देखा जा रहा है कि विधि विभाग में कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया है और विद्यार्थी क्लास में नहीं आ रहे हैं। अतः समस्त छात्र/छात्राओं की विश्वविद्यालय अध्यादेश 22 (A) के अनुसार कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 75% से कम होगी ऐसे विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित किया जायेगा जिसके लिए छात्र/छात्रायें स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अतः समस्त विद्यार्थियों से अनुरोध है कि उक्त सूचना को गम्भीरता से ले तथा कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें।


01/03/2024

(प्रो. मनविन्दर सिंह पाहवा)

अध्यक्ष, विधि विभाग

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,

सागर (M.P.)

Department of Law
Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya
Sagar (M. P.)